द स्लोवाक ऑफिस ऑफ स्टैण्डर्ड, मेट्रोलॉजी एंड टेस्टिंग (यूएनएमएस एसआर)
एवं
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)
के बीच मानकीकरण और अनुरुपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग के लिए
समझौता ज्ञापन

द स्लोवाक ऑफिस ऑफ स्टैण्डर्ड, मेट्रोलॉजी एंड टेस्टिंग (यूएनएमएस एसआर), स्लोवाक गणराज्य एवं भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नई दिल्ली, भारत, जिन्हें इसके बाद संयुक्त रुप से "भागीदार" कहा गया है

सहयोग एवं पारस्परिक हित की भावना से दोनों भागीदारों के बीच आवश्यक जानकारी एवं विशेषज्ञता के परस्पर आदान-प्रदान के लक्ष्यार्थ मानकीकरण, एवं अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने एवं इसे मजबूत करने के उद्देश्य से

निम्नलिखित समझौता करते हैं :

खंड 1
उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य निकट सहयोग को सुगम बनाना तथा वह कार्यविधि उपलब्ध कराना है, जिसके द्वारा भागीदार मानकीकरण, तथा अनुरूपता मूल्यांकन गतिविधियों को सशक्त बनाने के साझे उद्देश्य के लिए एक साथ कार्य कर सकें और विशेषज्ञता तथा पारस्परिक व्यापार की साझेदारी को सुगम बना सकें।

खंड 2
सहयोग के क्षेत्र

भागीदार अपनी क्षमता एवं अपने नियमों एवं विनियमों के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे एवं बढ़ावा देंगे:

2.1 मानकीकरण

(1) भागीदार, अनुरोध पर, मानकीकरण के क्षेत्र में सूचनाओं और दस्तावेजों का आदान-प्रदान करेंगे जो कि मानकीकरण गतिविधियों के निष्पादन हेतु संगठनात्मक ढाँचें, मानकों के विकास के नियमों और प्रक्रियाओं, मानकीकरण प्रकार्य कार्यक्रमों, विकास के विभिन्न चरणों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने आदि से संबंधित हो। (2) भागीदार परस्पर सहमति से मानकीकरण संबंधी मुद्दों/ क्षेत्रों पर वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे।

2.2 अनुरूपता मूल्यांकन

2.2.1 प्रमाणन

(1) भागीदार यथोचित सीमा तक एक दूसरे की निरीक्षण सेवाओं का उपयोग करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग व्यवस्था में प्रवेश के लक्ष्यार्थ एक – दूसरे के संगठनात्मक ढ़ांचे तथा तृतीय पक्ष के उत्पाद प्रमाणन एवं प्रबंध पद्धति प्रमाणन के नियमों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे।

(2) भागीदार यथोचित सीमा तक उत्पाद प्रमाणन एवं प्रबंध पद्धति प्रमाणन संबंधी इन-हाउॅस मैनुअलों का आदान-प्रदान करेंगे।

(3) भागीदार अपने सहमतिपूर्ण समझौता होने पर प्रमाणन गतिविधियों पर तकनीकी सूचनाओं का आदान–प्रदान करेंगे।

2.2.2 परीक्षण

(1) भागीदार अपनी प्रयोगशालाओं एवं/या नेटवर्क में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं के संबंध में सूचनाओं का आदान - प्रदान करेंगे।

(2) भागीदार एक-दूसरे की परीक्षण रिपोर्टों को परस्पर मान्यता देने के उद्देश्य से संगठनात्मक ढांचे एवं/या परीक्षण के लिए नेटवर्क, प्रयोगशालायी परीक्षणों के लिए प्रक्रियाओं तथा प्रयोगशालाओं के विकास का अध्ययन करेंगे।

2.3 तकनीकी सूचना

भागीदार मानकीकरण तथा अनुरूपता मूल्यांकन संबंधी वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी के संकलन, भंडारण, पुनःप्राप्ति, अनुप्रयोग और प्रसार संबंधी जानकारी का आदान – प्रदान करेंगे।

2.4 प्रशिक्षण

भागीदार अन्य भागीदारों के कार्मिकों को पारस्परिक आधार पर मानकीकरण तथा अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में तथा पारस्परिक हिंतों के अन्य क्षेत्रों, जो भी उपयुक्त हों, को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

खंड 3

वित्त – पोषण

इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अथवा इसके परिणामस्वरूप किसी गतिविधि पर होने वाले खर्च का वहन दोनों भागीदार परस्पर सहमत शर्तों के अनुसार करेंगे।

खंड 4
संशोधन

इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) में, भागीदारों के मध्य आपसी समझ से किसी भी समय लिखित करार से, संशोधन अथवा परिवर्धन किया जा सकता है।

खंड 5
भाषा

भागीदार कार्यकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए सहमत हैं।

खंड 6
विवाद – निपटान

इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) की व्याख्या या कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी विवाद, असहमति या दावे का निपटान भागीदारों के मध्य परस्पर विचार- विमर्श तथा बातचीत से किया जाएगा।

खंड 7
कार्यान्वयन

भागीदार अपने द्विपक्षीय संबंधों की जांच करने और उन्हें बढ़ावा देने और आपसी हित के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय परामर्श आयोजित करेंगे।

खंड 8
अंतिम प्रावधान

(1) यह समझौता ज्ञापन प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से लागू होगा और पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा। तत्पश्चात यह स्वत: आगामी पाँच वर्षों के लिए नवीकृत हो जाएगा।

2) यह समझौता (एमओयू) किसी भी भागीदार द्वारा किसी भी समय, दूसरे भागीदार को कम से कम चार महीने का लिखित अग्रिम नोटिस देकर, समाप्त किया जा सकता है।

3) यह समझौता ज्ञापन एक अंतरराष्ट्रीय समझौता नहीं है और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार कोई अधिकार या दायित्व स्थापित नहीं करता है।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी, जो हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है, ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

आज नई दिल्ली में दिनांक 22 फरवरी 2024 को अंग्रेजी, हिन्दी और स्लोवॉक भाषाओं, के समान रूप से प्रामाणिक सभी पाठ पर हस्ताक्षरित। व्याख्या में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

द स्लोवाक ऑफिस ऑफ स्टैण्डर्ड,
मेट्रोलॉजी एंड टेस्टिंग
स्लोवाक गणराज्य की ओर से

(रस्तिस्लाव चोवानेक)
स्लोवाक गणराज्य के
विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय
एससीएम)
के राज्य सचिव

भारत गणराज्य की सरकार
भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से

(चंदन बहल)
वैज्ञानिक जी और उप महानिदेशक
(आईआर एंड टीआईएस, एमएससी और